न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 131/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम
जाति मेघवाल, निवासी रामदेरिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.हरखू पत्नि भगवानाराम 2.भंवराराम पुत्र कानाराम
जाति मेघवाल, निवासी रामदेरिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री हुकमसिंह गोदारा**
विप्रार्थीगण :– **एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 02.04.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रामदेरिया (ईशरोल), तहसील चौहटन में प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा सं. 403/10 रकबा 35.00 बीघा का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम बाबूराम लम्बे समय से दर्ज रहा, जबकि प्रार्थी का सही नाम रामचन्द्र है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, [illegible] स्कूल रेकर्ड आदि में उसका वास्तविक नाम रामचन्द्र ही दर्ज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में [illegible] करवाते समय प्रार्थी का नाम घर की बोलचाल की भाषा में बाबू था, उसका अंकन करवा दिया। इस प्रकार गलत रूप से अंकन किये गये नाम को प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दुरस्त कर बाबू के स्थान पर रामचन्द्र दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त, बावजूद विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के नाम का दर्ज इन्द्राज बाबू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भगवाना दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया (ईशरोल), तहसील चौहटन के खसरा सं. 403/10 रकबा 35.00 बीघा में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भगवाना राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested